भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4855
01 अप्रैल, 2025 को उत्तरार्थ

विषय : स्वामीनाथन समिति प्रतिवेदन

4855. सुश्री एस. जोतिमणिः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) स्वामीनाथन समिति के प्रतिवेदन की कितनी सिफारिशों को अब तक कार्यान्वित किया जा चुका है;
(ख) क्या सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों हेतु ब्याज मुक्त ऋण पर विचार किया है;
(ग) सरकार ने इस प्रतिवेदन के पूर्ण कार्यान्वयन हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की है;
(घ) यदि हां, तो सिफारिशों के कार्यान्वयन में कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(ङ) क्या मंत्रालय ने कार्यान्वित की गई सिफारिशों के प्रभाव का कोई आकलन किया है; और
(च) शेष सिफारिशों को कार्यान्वित करने के संबंध में सरकार के रुख का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): स्वामीनाथन आयोग द्वारा प्रस्तुत 'राष्ट्रीय किसान नीति के मसौदे' के आधार पर, सरकार ने खेती की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार करने और किसानों की निवल आय में वृद्धि करने के उद्देश्य वर्ष 2007 में ' राष्ट्रीय किसान नीति' (एनपीएफ 2007) को मंजूरी दी थी । इसमें 201 कार्रवाई योग्य बिंदु शामिल थे। राष्ट्रीय किसान नीति के 14 बिंदुओं, जिन्हें वर्ष 2007 में कार्यान्वयन करने योग्य नहीं माना गया था, को छोडकर सभी कार्रवाई बिंदुओं को कार्यान्वित किया गया है।

इन 14 बिंदुओं की सूची **अनुबंध** पर हैं। इन 14 सिफारिशें में से, एमएसपी उत्पादन की भारित औसत लागत से कम से कम 50% अधिक निर्धारित करना, खाद्य गारंटी अधिनियम अधिनियमित करना, केंद्र में कृषि विभागों का पुनर्गठन कर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय/विभाग करना जैसी सिफारिशों को बाद में भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किया गया है।

(ख) से (च): सरकार सम्पूर्ण भारत में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में संशोधित ब्याज छूट स्कीम (एमआईएसएस) नामक 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित केंद्रीय क्षेत्र स्कीम कार्यान्वित कर रही है। इस स्कीम का उद्देश्य किसानों को उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से प्राप्त अल्पकालिक कृषि ऋणों पर रियायती ब्याज दरें प्रदान करना है। इस स्कीम के तहत किसानों को 7% की रियायती ब्याज दर पर केसीसी ऋण प्राप्त होता है। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, वित्तीय संस्थानों को 1.5% का अग्रिम(अपफ्रंट) ब्याज छूट (आईएस) प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, जो किसान अपने ऋणों को समय पर चुकाते हैं, उन्हें 3% शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) मिलता है, जिससे ब्याज दर प्रभावी रूप से 4% प्रति वर्ष हो जाती है। आईएस और पीआरआई का लाभ 3 लाख रुपये तक की ऋण सीमा के लिए उपलब्ध है। तथापि, यदि अल्पकालिक

ऋण संबद्ध गतिविधियों (फसल खेती के अलावा) के लिए लिया जाता है, तो ऋण राशि केवल 2 लाख रुपये तक सीमित है। बजट भाषण (2025-26) में ऋण सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की घोषणा की गई है। इस स्कीम का लाभ फसल के साथ-साथ पशुधन के लिए भी उपलब्ध है।

स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों को शुरू किया गया है। स्कीमों, केंद्र प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों का मूल्यांकन वित्त आयोग के चक्र के अनुसार किया जाता है और तदनुसार मंत्रिमंडल द्वारा स्कीमों को अनुमोदित या संशोधित किया जाता है।

इसके अलावा, स्कीम स्तर पर स्वतंत्र रूप से स्कीमों/कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया जाता है, साथ ही नीति आयोग द्वारा आवश्यकता के आधार पर भी मूल्यांकन किया जाता है और समय-समय पर संशोधन किए जाते हैं।

अनुबंध

राष्ट्रीय नीति में शामिल नहीं किए गए एनसीएफ द्वारा की गई सिफारिशों की सूची

	सिफारिशों का सार
क.	किसानों को जंगली सूअरों, नीलगाय को मारकर फसलों की रक्षा करने की अनुमति देना तथा रबी मौसम में मवेशियों की मुक्त चराई पर रोक लगाना
ख.	एमएसपी उत्पादन की भारित औसत लागत से कम से कम 50% अधिक करना
ग.	अखिल भारतीय कृषि परिषद का गठन
घ.	कृषि जोखिम फंड की स्थापना करना
ङ.	खाद्य गारंटी अधिनियम अधिनियमित करना
च.	किसानों के लिए आजीविका सुरक्षा बॉक्स संचालित करने में सरकार की सहायता करने तथा वैश्विक नीतियों को स्थानीय कार्रवाई से जोड़ने के लिए एक भारतीय व्यापार संगठन की स्थापना करना।
छ.	प्रत्येक राज्य द्वारा एक राज्य कृषक आयोग स्थापित किया जाना
ज.	संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत कृषि को समवर्ती सूची में शामिल करना।
झ.	केन्द्र और राज्यों के कृषि मंत्रालयों और विभागों का पुनर्गठन कर उन्हें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय/विभाग करना।
ञ.	राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पशुधन विकास परिषद की स्थापना करना। राज्य स्तर पर पशुधन चारा निगमों की स्थापना करना।
ट.	राष्ट्रीय कृषि जैव सुरक्षा परिषद, राष्ट्रीय कृषि जैव सुरक्षा केन्द्र और राष्ट्रीय कृषि जैव सुरक्षा नेटवर्क स्थापित करना।
ठ.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सार्वभौमिक बनान
ड.	महिला स्वयं सहायता समूहों की सहायता के लिए ग्राम पंचायत महिला कोष।
ढ.	एमएसपी और खरीद कार्यों को दो अलग-अलग पहलों के रूप में माना जाए।

*****